

केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
द्वारा जारी अधिसूचना

हरियाणा सरकार

न्याय विभाग प्रशासन

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 1997

संख्या. 20/10/96-4JJ(I) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (राज्य विधिक सेवा अधिनियम, 1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के लिए 'राज्य प्राधिकरण' नामक एक निकाय का गठन करते हैं, जो उपरोक्त अधिनियम और नियमों के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश।
मुख्य संरक्षक
2. माननीय न्यायाधीश का नाम अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
कार्यकारी अध्यक्ष।
3. सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग,
सदस्य
4. सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।
सदस्य
5. सचिव, हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग,
सदस्य
6. महाधिवक्ता, हरियाणा।
सदस्य
7. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।
सदस्य

8. अध्यक्ष, हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल।
सदस्य
9. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, हरियाणा।
सदस्य
10. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव।
सदस्य।
11. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
12. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
13. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयुक्त।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, हरियाणा।
15. अध्यक्ष, विधि विभाग। कुरुक्षेत्र/एम0डी0यू0, रोहतक।
16. सचिव, शिक्षा माध्यमिक।
17. सचिव, उच्च शिक्षा।

राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएँगे।

के.जी. वर्मा,
वित्त आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।